

प्रस्ताव हेतु अनुरोध: रा आ बैंक/आरएमडी/आरएफपी/01/2021-22: राष्ट्रीय आवास बैंक

आरएफपी संदर्भ सं. : रा.आ.बैंक/आरएमडी/आरएफपी/01/2021-22

प्रस्ताव हेतु अनुरोध -

बैंक के विदेशी विनिमय एक्सपोजर व व्युत्पन्न पोर्टफोलियो के मूल्यांकन एवं विश्लेषण से संबंधित कार्य हेतु सलाहकार की नियुक्ति

जोखिम प्रबंधन विभाग  
मुख्यालय, राष्ट्रीय आवास बैंक  
चतुर्थ तल, कोर 5-ए, भारत पर्यावास केन्द्र, लोधी रोड,  
नई दिल्ली – 110 003  
दूरभाष: 011-39187328, 011-39187185  
ई-मेल: [naveen.chaudhary@nhb.org.in](mailto:naveen.chaudhary@nhb.org.in); [tanikella.srinivas@nhb.org.in](mailto:tanikella.srinivas@nhb.org.in)

प्रस्ताव हेतु अनुरोध: रा आ बैंक/आरएमडी/आरएफपी/01/2021-22: राष्ट्रीय आवास बैंक

1. महत्वपूर्ण बोली विवरण		
1.	बोली/ निविदा/ आरएफपी दस्तावेजों की बिक्री प्रारंभ करने की तिथि	07/01/2022
2.	बोलीदाताओं के साथ बोली पूर्व बैठक (तिथि एवं समय)	20/01/2022 03:30 बजे
3.	बोली दस्तावेजों की प्राप्ति हेतु अंतिम तिथि एवं समय	28/01/2022 06:00 बजे
4.	तकनीकी बोली खोलने की तिथि एवं समय	31/01/2022 03:00 बजे
5.	आरएफपी दस्तावेज की लागत	₹2500/-
6.	बयाना जमा-राशि	<p>- बोली प्रतिभूति घोषणा (एमएसएमई बोलीदाता)</p> <p>- ₹50,000/- (गैर एमएसएमई बोलीदाता)</p> <p>बोलीदाता को अपने संगठन के लेटर हेड पर "ईएमडी/बोली प्रतिभूति घोषणा" प्रस्तुत करनी होगी जो उनके अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित और मुहर लगी हो" यह स्वीकार करते हुए कि यदि वे बोली की वैधता की अवधि के दौरान अपनी बोलियों को वापस लेते हैं या संशोधित करते हैं, या यदि उन्हें अनुबंध प्रदान किया जाता है और वे अनुबंध पर हस्ताक्षर करने में विफल रहते हैं, या प्रस्ताव हेतु अनुरोध (आरएफपी) दस्तावेज में परिभाषित समय सीमा से पहले एक कार्यनिष्पादन प्रतिभूति जमा करने में विफल रहते हैं, उन्हें बैंक के विवेक पर निलंबित/ब्लैकलिस्ट किया जा सकता है।</p>
7.	बोली खोलने का स्थान	<p>राष्ट्रीय आवास बैंक ,</p> <p>जोखिम प्रबंधन विभाग</p> <p>मुख्यालय</p> <p>कोर 5-ए , चतुर्थ तल, भारत पर्यावास केंद्र,</p> <p>लोधी रोड, नई दिल्ली – 110003</p>

**प्रस्ताव हेतु अनुरोध: रा आ बैंक/आरएमडी/आरएफपी/01/2021-22: राष्ट्रीय आवास बैंक**

टिप्पणी: -

- तकनीकी बोली उन बोलीदाताओं की उपस्थिति में खोली जाएगी जो उपस्थित होने के लिए चयनित किए गए हैं। उपरोक्त अनुसूची परिवर्तन के अधीन है। केवल नामित संपर्क कर्मों को ई-मेल या रा.आ.बैंक की वेबसाइट पर प्रकाशन के माध्यम से किसी परिवर्तन की सूचना प्रदान की जाएगी। इसके अतिरिक्त, कृपया नोट करें कि वाणिज्यिक बोली खुलने की तिथि, समय एवं स्थान बाद में तकनीकी अर्हता-प्राप्त बोलीदाताओं को सूचित की जाएगी।
- इस आरएफपी के साथ दस्तावेजी साक्ष्यों/कंपनी रिकॉर्ड के माध्यम से प्रस्तुत सभी डाटा/सूचना रिपोर्ट की जाएगी एवं इस आरएफपी के प्रकाशन की यथा तारीख को मानी जाएगी।

## प्रस्ताव हेतु अनुरोध: रा आ बैंक/आरएमडी/आरएफपी/01/2021-22: राष्ट्रीय आवास बैंक

### 2. राष्ट्रीय आवास बैंक

राष्ट्रीय आवास बैंक (रा.आ.बैंक), जो कि एक सांविधिक संस्थान है, राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 (“अधिनियम”) के तहत स्थापित एक सांविधिक निकाय है।

क. राष्ट्रीय आवास बैंक की स्थापना अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित उद्देश्यों को प्राप्त करने हेतु की गई है:

- आबादी के सभी वर्गों की जरूरत को पूरा करने और कुल मिलाकर वित्तीय प्रणाली के साथ आवास वित्त प्रणाली को एकीकृत करने हेतु ठोस, बेहतर, व्यवहार्य और लागत प्रभावी आवास वित्त प्रणाली को बढ़ावा देना।
- विविध क्षेत्र और विभिन्न आय वर्ग को पर्याप्त तौर पर सहायता प्रदान करने हेतु समर्पित आवास वित्त संस्थानों के एक तंत्र को बढ़ावा देना।
- इस क्षेत्र के लिए संसाधनों को बढ़ाना और आवास हेतु इन्हें उपलब्ध कराना।
- आवास ऋण को अधिक किफायती बनाना।
- इस अधिनियम के तहत व्युत्पन्न विनियामक एवं पर्यवेक्षी प्राधिकरण के आधार पर आवास वित्त कंपनियों की गतिविधियों को पर्यवेक्षित करना।
- आवास हेतु भवन निर्माण योग्य भूमि और निर्माण सामग्रियों की आपूर्ति के विस्तार को प्रोत्साहित करना और देश में आवासीय स्टॉक को अद्यतीत करना।
- आवास हेतु सेवित भूमि के सुविधाप्रदाता और आपूर्तिकर्ता के तौर पर उभरने हेतु सार्वजनिक एजेंसियों को प्रोत्साहित करना।

ख. रा.आ.बैंक का प्रधान कार्यालय नई दिल्ली में स्थित है तथा इसका क्षेत्रीय कार्यालय दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद और कोलकाता में है। इसके प्रतिनिधि कार्यालय अहमदाबाद, भोपाल, लखनऊ, चेन्नई और गुवाहाटी में स्थित है।

### 3. उद्देश्य:

राष्ट्रीय आवास बैंक एडीबी, केएफडब्ल्यू, डीआईएफडी (यूके), विश्व बैंक आदि जैसे बहुपक्षीय एजेंसियों से दीर्घकालिक विदेशी मुद्रा ऋण ले रहा है और उपरोक्त उधार से उत्पन्न विदेशी विनिमय और ब्याज जोखिम से बचाव के लिए अन्य बैंकों / प्रतिपक्षों के साथ व्युत्पन्न सौदे कर रहा है।

इस आरएफपी का उद्देश्य बैंक की व्युत्पन्न नीति और समय-समय पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी परिपत्रों/निर्देशों के अनुसार बैंक के विदेशी विनिमय एक्सपोजर, विदेशी उधार की स्थिति और व्युत्पन्न पोर्टफोलियो के मूल्यांकन और विश्लेषण से संबंधित कार्य के लिए एक सलाहकार की नियुक्ति करना है।

**प्रस्ताव हेतु अनुरोध: रा आ बैंक/आरएमडी/आरएफपी/01/2021-22: राष्ट्रीय आवास बैंक**

विस्तृत कार्य क्षेत्र और प्रदेय (डिलिवरेबल्स) को क्रमशः बिंदु 4 और बिंदु 5 में सूचीबद्ध किया गया है।

**4. कार्य क्षेत्र :**

क्रम सं.	कार्य क्षेत्र	आवृत्ति
1	बैंक के विदेशी विनिमय एक्सपोजर (रक्षित और अरक्षित दोनों) का मूल्यांकन, बाजार भाव पर दर्शाना (एमटीएम) और विश्लेषण	मासिक और तिमाही (दैनिक, यदि मामले दर मामले आधार पर आवश्यक हो)
2	व्युत्पन्न बाजार भाव पर दर्शाना (एमटीएम) की गणना और बैंक के व्युत्पन्न पोर्टफोलियो का मूल्यांकन और विश्लेषण	मासिक और तिमाही (दैनिक, यदि मामले दर मामले आधार पर आवश्यक हो)
3	बचाव प्रभावशीलता पर विश्लेषण	मासिक और तिमाही
4	समय-समय पर भा.रि.बैंक द्वारा निर्धारित प्रणाली/यों के अनुसार संपूर्ण पोर्टफोलियो हेतु और प्रत्येक लेन-देन के लिए पीवी01 की गणना सहित उचित मूल्यांकन।	मासिक और तिमाही (दैनिक, यदि मामले दर मामले आधार पर आवश्यक हो)
5	व्युत्पन्न पोर्टफोलियो के जोखिम मूल्य (वीएआर) की गणना।	मासिक और तिमाही
6	समय-समय पर भा.रि.बैंक द्वारा निर्धारित अन्य प्रणाली/यां और चालू एक्सपोजर विधि के माध्यम से व्युत्पन्न उत्पाद की ऋण समान राशि/ऋण जोखिम एक्सपोजर की गणना।	मासिक और तिमाही (दैनिक, यदि मामले दर मामले आधार पर आवश्यक हो)
7	बैंक की बचाव कार्यनीति, विदेशी मुद्रा स्थिति, बचाव प्रभावशीलता आदि पर सलाहकार सेवाएं / संस्तुति/ सुझाव। इस प्रयोजन के लिए रा.आ.बैंक, प्रधान कार्यालय का आवधिक दौरा, माह में एक बार अधिमानतः होगा।	मासिक और अनपेक्षित बाहरी घटनाओं के मामले में तत्काल
8	बैंक के विदेशी मुद्रा/व्युत्पन्न एक्सपोजर पर स्ट्रेस टेस्ट, रिवर्स स्ट्रेस टेस्ट और बैंक टेस्ट का संचालन।	मासिक और अनपेक्षित बाहरी घटनाओं के मामले में तत्काल
9	पीवी01, वीएआर, एनओओपीएल आदि के लिए आंतरिक सीमा परिभाषित करना।	वार्षिक आधार पर परिभाषित की गई सीमाओं की समीक्षा या जैसे और जब आवश्यक हो
10	समय-समय पर या इस विषय पर भा.रि.बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार जब भी आवश्यक हो, आवधिक व्युत्पन्न नीति की समीक्षा के लिए निविष्टियां दें। परामर्शदाता भा.रि.बैंक दिशानिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए	वार्षिक या जैसे और जब आवश्यक हो

**प्रस्ताव हेतु अनुरोध: रा आ बैंक/आरएमडी/आरएफपी/01/2021-22: राष्ट्रीय आवास बैंक**

	बैंक के प्रतिपक्षी एक्सपोजर मानदंडों में भी बदलाव का सुझाव दे सकता है।	
11	नेट ओपन पोजिशन लिमिट (एनओपीएल) और नेट ओवरनाइट ओपन पोजिशन लिमिट (एनओओपीएल यदि आवश्यक हो) की गणना करना।	जैसे और जब आवश्यक हो
12	परामर्शदाता व्युत्पन्न और विदेशी मुद्रा के संबंध में जब नए दिशानिर्देशों/ विनियम प्रस्तुत किए गए हो, उन्हें सूचित करने और लागू करने में भी सहायता करें।	जैसे और जब आवश्यक हो
13	भा.रि.बैंक के साथ-साथ विदेशी उधार पोर्टफोलियों के संबंध में बैंक के वित्तीय विवरणों में किए जाने वाले सर्वोत्तम लेखांकन प्रथाओं और विनियामक प्रकटीकरण पर रा.आ.बैंक को निर्देश करना।	जैसे और जब आवश्यक हो
14	परामर्शदाता कर्ज संरचना, बचाव करने की कार्यनीतियां, बचाव की प्रभावी कीमत पर चर्चा के लिए उपलब्ध होगा जैसे और जब आवश्यक हो तब बैंकों के साथ बातचीत करेगा।	जैसे और जब आवश्यक हो
15	लागत लाभ विश्लेषण के साथ बाहरी उधार की लागत।	जैसे और जब आवश्यक हो
16	समवर्ती/आंतरिक/सांविधिक/भा.रि.बैंक लेखापरीक्षा अवलोकनों का उत्तर देने में बैंक की सहायता करना।	निर्देशानुसार
17	विनियामक आवश्यकताओं हेतु अनुपालन सुनिश्चित करना	निर्देशानुसार
18	अपनाए गए मूल्यांकन के तरीकों और तर्क को साझा करना और इसे समय-समय पर रा.आ.बैंक और नियामक दिशानिर्देशों को पूरा करना चाहिए।	जैसे और जब आवश्यक हो
19	जैसे और जब आवश्यक हो विषय के मामले पर कोई अन्य सेवाएं।	जैसे और जब आवश्यक हो

**कृपया ध्यान दें:**

- सभी रिपोर्ट / विश्लेषण फरवरी, 2022 से शुरू होने वाली अवधि से प्रस्तुत किए जाने हैं।
- परामर्शदाता द्वारा अपनाई गई गणना पद्धति स्पष्ट रूप से परिभाषित और प्रलेखित होनी चाहिए।

## प्रस्ताव हेतु अनुरोध: रा आ बैंक/आरएमडी/आरएफपी/01/2021-22: राष्ट्रीय आवास बैंक

- सभी मासिक / तिमाही रिपोर्ट महीने / तिमाही के अंत के 07 कार्य दिवसों के भीतर प्रदान की जानी चाहिए।
- अगले कार्य दिवस के अंत तक दैनिक रिपोर्ट भेजी जाएगी।

### 5. प्रदेय :

निर्धारित आवृत्ति और/या बैंक की आवश्यकता के अनुसार कार्यक्षेत्र के तहत उल्लिखित रिपोर्ट / विश्लेषण / सूचना प्रस्तुत करना।

### 6. संविदा की अवधि:

संविदा आरंभ में एक वर्ष की अवधि के लिए होगी और संतोषजनक वार्षिक समीक्षा के अधीन 3 वर्ष की अवधि तक बढ़ाई जाएगी।

### टिप्पणी :

यह आरएफपी उन कार्यों, गतिविधियों, जिम्मेदारियों तथा सेवाओं की व्याख्या करने के लिए संपूर्ण नहीं है जिनके लिए परामर्शदाता जिम्मेदार है। निविदा में सहभागिता द्वारा बोलीदाता निःसंदेह यह सन्तुष्ट करता है कि यदि इस आरएफपी में कोई कार्य, गतिविधियां, जिम्मेदारियां या सेवाएं विशेष रूप से वर्णित नहीं की गई हैं या विशेष रूप से वर्णित है लेकिन विनियामक बदलावों के कारण उपयुक्त बदलाव/संशोधन करने पड़ते हैं तथा उन्हें रा.आ.बैंक द्वारा संविदा के उपयुक्त निष्पादन हेतु आवश्यक या उपयुक्त कहा गया है तो ऐसे कार्य, गतिविधियां, जिम्मेदारियां या सेवाएं (प्रयोज्य बदलावों के साथ, यदि कोई हो) इस आरएफपी के तहत सेवाओं के क्षेत्र के भीतर निहित तथा शामिल समझी जाएंगी तथा उसी हद तक और उसी तरीके से बोलीदाता का प्रत्युत्तर जैसे कि इस आरएफपी या बोलीदाता के प्रत्युत्तर में विशेष रूप से वर्णित किया हो।

## प्रस्ताव हेतु अनुरोध: रा आ बैंक/आरएमडी/आरएफपी/01/2021-22: राष्ट्रीय आवास बैंक

### 7. बोलीदाताओं को अनुदेश

#### 7.1 सामान्य :-

- विकास, तैयारी, और प्रत्युत्तरों के प्रस्तुत करने से किसी भी प्रकार से संबद्ध सहित लेकिन जो बैठकों, चर्चाओं, प्रदर्शन, इत्यादि में उपस्थिति तक सीमित न हो और रा.आ. बैंक द्वारा अपेक्षित कोई अन्य सूचना प्रदान करने में बोलीदाताओं द्वारा वहन की गई समस्त लागत एवं व्यय पूरी तरह एवं केवल बोलीदाता द्वारा वहन की जाएगी।
- अनुबंधात्मक करार का निष्पादन होने तक बोली के साथ प्रस्तुत किए जाने वाले संविदा-पूर्व समग्रता समझौते के अलावा किसी भी बोलीदाता एवं राष्ट्रीय आवास बैंक के बीच कोई बाध्यकारी संबंध मौजूद नहीं रहेगा। सफल बोलीदाता की पहचान, बोलियों को अंतिम रूप देने और मूल्यांकन के बाद, समग्रता समझौता सफल बोलीदाता द्वारा हस्ताक्षरित किए जाने वाले निश्चित करार का भाग होगा। अन्य बोलीदाताओं के लिए, प्रस्तुत बोली के संबंध में कथित संविदा-पूर्व समग्रता समझौता के उल्लंघन में बोलीदाता द्वारा किया गया कार्य/गलती के लिए उन पर संविदा-पूर्व समग्रता समझौता बाध्यकारी होगा।
- प्रत्येक प्राप्तकर्ता स्वीकार करता है कि राष्ट्रीय आवास बैंक अपने संपूर्ण अधिकार में पात्र परामर्शदाता को शॉर्ट लिस्ट करने/चयन करने हेतु प्रस्तावों के मूल्यांकन हेतु दस्तावेज में निर्दिष्ट चयन मापदंड को लागू कर सकता है।
- इस आरएफपी का प्रत्युत्तर देने वाले बोलीदाता को यह समझा जाएगा कि उसे इस आरएफपी की शर्तें व अस्वीकरण स्वीकार हैं।
- बोलीदाताओं से अपेक्षित है कि वे इस आरएफपी से संबंधित सभी पत्राचार सीधे निम्नलिखित नामित संपर्क व्यक्तियों को भेजें:

	श्री तनिकेला श्रीनिवास	श्री नवीन चौधरी
पद	प्रमुख जोखिम अधिकारी	क्षेत्रीय प्रबंधक
ई-मेल	<a href="mailto:Tanikella.Srinivas@nhb.org.in">Tanikella.Srinivas@nhb.org.in</a>	<a href="mailto:naveen.chaudhary@nhb.org.in">naveen.chaudhary@nhb.org.in</a>
दूरभाष	011-39187328	+91-11-39187185
मोबाइल	8879811568	8130498075

## प्रस्ताव हेतु अनुरोध: रा आ बैंक/आरएमडी/आरएफपी/01/2021-22: राष्ट्रीय आवास बैंक

- रा.आ. बैंक अपने संपूर्ण विवेक पर आरएफपी/निविदा के बंद होने के पश्चात किसी भी बोलीदाता से कोई अतिरिक्त सूचना अथवा सामग्री की मांग कर सकता है और दी जाने वाले ऐसी सभी सूचना और सामग्री बोलीदाता के प्रत्युत्तर का भाग होनी चाहिए।
- यह सुनिश्चित करने के लिए कि आरएफपी हेतु प्रत्युत्तर तुरंत सूचित किया जाए, बोलीदाताओं को अपने संपर्क व्यक्ति, टेलीफोन, फैक्स, ई-मेल एवं पूरे पते का विवरण देना चाहिए।
- यदि रा.आ. बैंक अपने संपूर्ण विवेक पर यह पाए कि प्रश्न के प्रत्युत्तर से प्रश्न के प्रणेता को लाभ होगा तो रा.आ. बैंक के पास यह अधिकार सुरक्षित होगा कि वह ऐसे प्रत्युत्तर को सभी बोलीदाताओं को सूचित करें।
- प्रश्न/स्पष्टीकरण यदि कोई हों, बोली प्रस्तुत करने की समय-सीमा से पूर्व सोमवार से शुक्रवार, अवकाश को छोड़कर, प्रातः 10 बजे से सांय 5 बजे के बीच उपरोक्त संपर्क सूत्रों के समक्ष उठाया जा सकता है।
- बोलीदाता भारत में किसी सरकारी विभाग/ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/ बैंक/ वित्तीय संस्थान द्वारा बोली प्रक्रिया में भाग लेने से ब्लैकलिस्ट/रोका न गया हो।
- राष्ट्रीय आवास बैंक सभी चयनित बोलीदाताओं को अपने आरएफपी के परिणाम के बारे में लिखित में या मेल द्वारा या अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित कर सूचित करेगा। राष्ट्रीय आवास बैंक किसी भी स्वीकार या अस्वीकार हेतु कोई कारण प्रदान करने हेतु बाध्य नहीं है।

### 7.2 बोली पूर्व बैठक

इस आरएफपी से संबंधित मुद्दों पर बोलीदाताओं के संदेहों के स्पष्टीकरण के प्रयोजनार्थ राष्ट्रीय आवास इस आरएफपी में दी गई तिथि व समय पर बोली पूर्व बैठक आयोजित करना चाहता है। सभी बोलीदाताओं के प्रश्न लिखित में **18-01-2022** को या उससे पूर्व ईमेल अथवा डाक द्वारा लिखित में उपरोक्त उल्लिखित पते पर पहुंच जाने चाहिए। यह भी ध्यान दें कि किसी भी बोलीदाता के बोली पूर्व बैठक के पश्चात प्राप्त होने वाले प्रश्नों पर विचार नहीं किया जाएगा। प्रश्नों पर स्पष्टीकरण बोली पूर्व बैठक में दिया जाएगा। बोलीदाताओं के केवल प्राधिकृत प्रतिनिधि को ही बोली पूर्व बैठक में भाग लेने की अनुमति होगी।

### **7.3 निविदा/आरएफपी दस्तावेज की सॉफ्ट कॉपी**

निविदा दस्तावेज की सॉफ्ट कॉपी बैंक की वेबसाइट <http://www.nhb.org.in> पर उपलब्ध कराई जाएगी। बोलीदाताओं को एनईएफटी के माध्यम से एनईएफटी के माध्यम से खण्ड 7.39 में वर्णित ₹2500 (दो हजार पांच सौ रुपये मात्र) के अप्रतिदेय शुल्क का भुगतान करना होगा, और इसके भुगतान के तुरंत बाद रा.आ.बैंक को सूचित करना होगा।

### **7.4 निविदा/आरएफपी की अहस्तांतरणीयता**

यह निविदा/आरएफपी दस्तावेज हस्तांतरणीय नहीं है।

### **7.5 विलोपन अथवा परिवर्तन**

विलोपन या परिवर्तन वाले प्रस्तावों पर विचार नहीं किया जा सकता है। रा.आ. बैंक के विवेकाधिकार पर तकनीकी बोली में किसी भी अंतरालेखन, विलोपन या उपरी लेखन पर विचार किया जा सकता है, केवल तभी यदि वह बोलियों पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति द्वारा आद्याक्षरित हो। तथापि, वाणिज्यिक बोली में किसी भी तरीके से कोई भी अंतरालेखन, विलोपन या उपरी लेखन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। प्रस्ताव में हाथ से लिखी हुई सामग्री, सुधार या बदलाव नहीं होना चाहिए। तकनीकी विवरण पूरी तरह से भरा होना चाहिए। प्रस्तावित उत्पाद की सही तकनीकी जानकारी भरी होनी चाहिए। “ठीक”, “स्वीकृत”, “विख्यात”, जैसा कि ब्रोशर/नियमावली में दिया गया है, इन शब्दों का प्रयोग करके जानकारी भरना स्वीकार्य नहीं है। रा.आ. बैंक इन दिशा-निर्देशों का पालन न करने वाले प्रस्तावों को अस्वीकृत करेगा। रा.आ. बैंक अपने विवेकाधिकार पर, प्रस्ताव में कोई भी मामूली गैर-अनुरूपता या किसी भी मामूली अनियमितता में छूट कर सकता है। यह सभी बोलीदाताओं पर बाध्यकारी होगा तथा रा.आ.बैंक इस तरह की छूट के लिए अधिकार सुरक्षित रखता है।

### **7.6 बोली/निविदा/आरएफपी दस्तावेज में संशोधन**

- बोलियों की प्रस्तुति की समय सीमा से पूर्व किसी भी समय पर राष्ट्रीय आवास बैंक किसी कारण के लिए बोली दस्तावेजों में संशोधन करते हुए संशोधन कर सकता है।
- ऐसे संशोधनों को बैंक की वेबसाइट [www.nhb.org.in](http://www.nhb.org.in) पर दर्शाया जाएगा।
- सभी बोलीदाताओं को यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि आरएफपी में सभी संशोधन/वृद्धि (यदि कोई हो) बोली प्रस्तुत करने से पूर्व उन्होंने उस पर विचार कर लिया है। किसी बोलीदाता द्वारा किसी प्रकार चूक के मामले में रा.आ. बैंक की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
- रा.आ.बैंक अपने विवेक पर बोली प्रस्तुत करने की समय-सीमा बढ़ा सकता है।

## प्रस्ताव हेतु अनुरोध: रा आ बैंक/आरएमडी/आरएफपी/01/2021-22: राष्ट्रीय आवास बैंक

- किसी भी प्रकार के संप्रेषण में कमी के लिए रा.आ.बैंक उत्तरदायी नहीं होगा। इसके अतिरिक्त, रा.आ.बैंक के पास बिना कोई कारण बताए किसी भी चरण में आरएफपी को रद्द करने या निविदा प्रक्रिया को समाप्त करने का अधिकार सुरक्षित होगा।

### 7.7 बोली की भाषा

बोलीदाताओं द्वारा तैयार बोली के अलावा बोलीदाता एवं रा.आ.बैंक के बीच बोली से संबंधित आदान-प्रदान किये जाने वाले सभी पत्राचार एवं दस्तावेज एवं समर्थित दस्तावेज व मुद्रित साहित्य अंग्रेजी में लिखी जाएगी।

### 7.8 प्रच्छादित (मास्कड) वाणिज्यिक बोली

बोलीदाता को वास्तविक मूल्य प्रच्छादित (मास्कड) करके राष्ट्रीय आवास बैंक को प्रस्तुत की जा रही वास्तविक मूल्य बोली की प्रति (राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा विनिर्दिष्ट प्रारूप के अनुसार) प्रस्तुत करना भी आवश्यक है। यह अनिवार्य है। वह बोली अयोग्य ठहराई जा सकती है यदि इसे यथोचित ढंग से प्रच्छादन करते हुए प्रस्तुत न किया गया हो। राष्ट्रीय आवास बैंक के पास वाणिज्यिक मूल्यांकन के समय पर बोली/निविदा अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित है यदि 'प्रच्छादित वाणिज्यिक बोली' का प्रारूप/विवरण (मूल्य के सिवा) प्रस्तुत की गई वास्तविक वाणिज्यिक बोली के प्रारूप/विवरण से नहीं मिलता है।

### 7.9 स्थान/मात्रा बदलने का अधिकार

रा.आ. बैंक समय-समय पर, इस आरएफपी में निर्दिष्ट प्रस्तावित स्थान/स्थानों को बदलने का अधिकार सुरक्षित रखता है। रा.आ. बैंक, आरएफपी में निर्दिष्ट सूची में से एक या अधिक स्थान/ स्थानों को जोड़ने/ हटाने का अधिकार भी रखता है।

### 7.10 बोली दस्तावेज (यदि प्रारूप में कोई अनुदेश अलग से निर्धारित किए गए हैं तो कृपया उनका पालन करें)

1. तकनीकी प्रस्ताव : तकनीकी बोली अनुलग्नक VII में निर्धारित प्रारूप में, अनुलग्नक VI में निर्धारित प्रारूप में आवरण पत्र के साथ प्रस्तुत करें। तकनीकी प्रस्ताव में शामिल दस्तावेजों में निम्नलिखित शामिल होने चाहिए
  - क) विषय-सूची (संलग्न दस्तावेजों की सूची)
  - ख) अनुलग्नक I में निर्धारित प्रारूप में बोलीदाता की जानकारी;
  - ग) अनुलग्नक II में निर्धारित प्रारूप में बोलीदाता के अनुभव का ब्यौरा;
  - घ) अनुलग्नक III में निर्धारित प्रारूप में अनुपालन विवरण घोषणा;
  - ङ) अनुलग्नक IV में निर्धारित प्रारूप में विचलनों की सूची, यदि कोई हो;

**प्रस्ताव हेतु अनुरोध: रा आ बैंक/आरएमडी/आरएफपी/01/2021-22: राष्ट्रीय आवास बैंक**

- च) अनुलग्नक V में निर्धारित प्रारूप में न्यूनतम योग्यता पर सूचना;
- छ) अनुलग्नक VI – तकनीकी बोली आवरण पत्र
- ज) अनुलग्नक VII – तकनीकी बोली प्रारूप
- झ) अनुलग्नक X – ईसीएस अधिदेश
- ञ) अनुलग्नक XI – सक्षमता का पत्र
- ट) अनुलग्नक XII - प्रधान कार्मिक का बायोडेटा
- ठ) प्रमाणपत्रों, दस्तावेजी साक्ष्यों आदि की प्रतियां
- ड) अनुलग्नक XIII - संकल्प मैट्रिक्स
- ढ) अनुलग्नक XVIII- ईएमडी / बोली प्रतिभूति घोषणा

**वाणिज्यिक प्रस्ताव:** वाणिज्यिक बोली अनुलग्नक IX में निर्धारित प्रारूप में, अनुलग्नक VIII में निर्धारित प्रारूप में आवरण पत्र के साथ प्रस्तुत करें।

2. **अनुलग्नक XIIIV** में प्रारूप में संविदा-पूर्व समग्रता समझौता (जहां भी लागू हो) (*संविदा-पूर्व समग्रता समझौता प्राधिकृत हस्ताक्षरी द्वारा विधिवत हस्ताक्षर किए 100/- रु. के गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर पर सही तरीके से टंकित कर प्रस्तुत करना चाहिए और तत्पश्चात रा.आ. बैंक की ओर से भी हस्ताक्षर किया जाएगा। निष्पादन की तारीख बोलीदाता द्वारा तकनीकी बोली में उल्लिखित तारीख होनी चाहिए*)

**टिप्पण:** आरएफपी लागत और ईएमडी/बोली प्रतिभूति घोषणा के बिना बोलियां पूरी तरह से खारिज कर दी जाएंगी।

### 7.11 बोली मुद्रा

बोलियां केवल भारतीय रुपए में उद्धृत होंगी। भारतीय रुपए के अलावा अन्य मुद्राओं में बोलियों पर विचार नहीं किया जा सकता है।

### 7.12 बयाना जमा-राशि (ईएमडी)

कृपया अंग्रेजी आरएफपी का संदर्भ लें।

### 7.13 कार्यान्वयन अनुसूची

- बोलीदाता सेवाओं के वितरण के लिए उत्तरदायी होगा।

**प्रस्ताव हेतु अनुरोध: रा आ बैंक/आरएमडी/आरएफपी/01/2021-22: राष्ट्रीय आवास बैंक**

क्र. सं.	...के लिए क्रय आदेश	वितरण अनुसूची (क्रय आदेश/अवार्ड पत्र को स्वीकार करने की तिथि से)*
1.	शुरूआती बैठक जिसमें बैंक के विदेशी उधार और व्युत्पन्न लेनदेन के विवरण पर चर्चा शामिल होगी।	एक दिन
2.	भारतीय रिजर्व बैंक और अन्य नियामक दिशानिर्देशों पर चर्चा, जिसमें विदेशी उधार और व्युत्पन्न लेनदेन के संबंध में लेखांकन प्रथाओं और विनियामक प्रकटीकरण, बैंक की व्युत्पन्न नीति और मौजूदा जोखिम प्रबंधन प्रथाओं / बैंक द्वारा अपनाई गई रिपोर्टिंग तकनीक शामिल है।	दो दिन
3.	कार्यक्षेत्र में कार्य विवरण हेतु अपनाई गई कार्यनीति, प्रारूप, गणना पद्धति और तकनीकों के साथ-साथ कार्यक्षेत्र पर चर्चा।	दो दिन
4.	निर्धारित आवृत्ति के अनुसार अनुच्छेद 4 में प्रदान किए गए कार्यक्षेत्र के तहत उल्लिखित रिपोर्ट / विश्लेषण / सूचना का प्रस्तुतीकरण।	अनुच्छेद 4 में कार्यक्षेत्र के तहत उल्लिखित निर्धारित आवृत्ति के अनुसार।  (सभी मासिक / तिमाही रिपोर्ट महीने / तिमाही के अंत के 07 दिनों के भीतर प्रदान की जानी चाहिए।)  <u>अगले कार्य दिवस के अंत तक दैनिक रिपोर्ट भेजी जाएगी।</u>

- आरएफपी की शर्तों के अनुसार एसएलए के निष्पादन के बाद ही बिलिंग का कार्य शुरू होगा।

**7.14 कार्य निष्पादन बैंक गारंटी (पीबीजी)**

चयनित बोलीदाता को **अनुलग्नक- XVII** में यथा निर्दिष्ट प्रारूप में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक से बैंक गारंटी के रूप में संविदा मूल्य की कुल लागत की 3% राशि की कार्य निष्पादन बैंक गारंटी (पीबीजी) प्रदान करनी होगी। पीबीजी संविदा अवधि या ऐसे अन्य विस्तारित अवधि जो रा.आ.बैंक निर्धारित करें की समाप्ति के बाद कम से कम **06 महीने** तक वैध होनी चाहिए। पीबीजी सफल बोलीदाता द्वारा गैर-निष्पादकता के जोखिम, श्रम कानून और किसी अन्य कानून/नियम/विनियमन सहित लागू सांविधिक प्रावधानों के गैर-अनुपालन सहित आरएफपी में त्रुटि के विरुद्ध रा.आ.बैंक के हित की रक्षा करता हो। संविदा की शर्तों के सफलतापूर्वक कार्यान्वयन में चूक होने पर पीबीजी का आवाहन वारंट हो सकता है और यदि परामर्शदाता/बोलीदाता के किसी कृत्य के परिणामस्वरूप यदि तरल क्षति/जुर्माना होता है तो रा.आ.बैंक के पास ऐसे बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत कार्य निष्पादन बैंक गारंटी को आवाहन करने का अधिकार है। आरएफपी शर्तों में गैर-निष्पादकता या चूक समेत लागू सांविधिक प्रावधानों आदि के गैर-अनुपालन पर रा.आ.बैंक का निर्णय अंतिम होगा और सफल बोलीदाता पर बाध्य

## प्रस्ताव हेतु अनुरोध: रा आ बैंक/आरएमडी/आरएफपी/01/2021-22: राष्ट्रीय आवास बैंक

होगा।

### 7.15 बोलियों की वैधता अवधि

- बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत कीमतें तथा अन्य शर्तें वाणिज्यिक बोली प्रस्तुत करने की तारीख छह माह की स्वीकृति अवधि के लिए वैध होनी चाहिए।
- असाधारण परिस्थितियों में रा.आ.बैंक बोलीदाताओं से वैधता की अवधि बढ़ाने के लिए सहमति की मांग कर सकता है। ऐसे अनुरोध और प्रतिक्रिया लिखित में होंगे। बोली प्रतिभूति घोषणा/ ईएमडी भी बढ़ा दी जाएगी।

### 7.16 प्रारूप और बोलियों पर हस्ताक्षर

प्रत्येक बोली दो भागों में प्रस्तुत की जाएगी:

- **भाग I:** न्यूनतम पात्रता मानदंड, तकनीकी बोली तथा प्रच्छादित वाणिज्यिक बोली [मूल्य रहित मूल्य बोली] शामिल हैं। उपरोक्त विषय-वस्तु को “**तकनीकी प्रस्ताव**” के रूप में संदर्भित किया जाएगा।
- **भाग II :** यहां केवल वाणिज्यिक बोली को “**वाणिज्यिक प्रस्ताव**” के रूप में संदर्भित किया गया है।
- मूल बोली पक्की स्याही में टाइप की हुई या लिखित में होनी चाहिए और बोलीदाता को संविदा में बनाए रखने के लिए बोलीदाता या व्यक्ति या विधिवत प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे। बोलियों पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति असंशोधित मुद्रित साहित्य को छोड़कर बोलियों के सभी पृष्ठों पर आद्याक्षर करेगा।

### 7.17 बोलियों की मुहरबंदी और चिह्नांकन

- रा.आ. बैंक के नीचे दिए गए पते पर लिफाफा संबोधित किया जाएगा:  
मुख्य जोखिम अधिकारी, जोखिम प्रबंधन विभाग  
राष्ट्रीय आवास बैंक  
कोर 5-ए, चतुर्थ तल, भारत पर्यावास केंद्र,  
लोधी रोड,  
नई दिल्ली – 110003
- सभी लिफाफों के कवर पर बोलीदाता के संपर्क नं. के साथ पता और नाम इंगित किया जाना चाहिए।

## **प्रस्ताव हेतु अनुरोध: रा आ बैंक/आरएमडी/आरएफपी/01/2021-22: राष्ट्रीय आवास बैंक**

- बोलीदाता तकनीकी और वाणिज्यिक प्रस्तावों वाले लिफाफों को अलग-अलग मुहर बंद करेगा।
- लिफाफे में पारदर्शी भाग नहीं होना चाहिए तथा उस पर जैसा प्रयोज्य हो, “बैंक के विदेशी विनिमय एक्सपोजर के मूल्यांकन और विश्लेषण तथा व्युत्पन्न पोर्टफोलियो से संबंधित कार्य के लिए परामर्शदाता की नियुक्ति हेतु तकनीकी प्रस्ताव”, और “बैंक के विदेशी विनिमय एक्सपोजर के मूल्यांकन और विश्लेषण तथा व्युत्पन्न पोर्टफोलियो से संबंधित कार्य के लिए परामर्शदाता की नियुक्ति हेतु वाणिज्यिक प्रस्ताव” लिखा जाना चाहिए।
- यदि लिफाफे मुहरबंद और चिन्हित नहीं किया गए हों तो रा.आ.बैंक बोली के गुम होने या समय पूर्व खुल जाने के लिये उत्तरदायी नहीं होगा।
- ठीक से मुहरबंद न हुई बोली पर विचार नहीं किया जाएगा और बिना किसी दायित्व के अस्वीकार कर दिया जाएगा।
- बोली को स्पाइरल बाइंडिंग में प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

### **7.18 बोली प्रस्तुत करने की समय-सीमा**

- रा.आ.बैंक द्वारा बोलियां निर्दिष्ट पते पर प्राप्त की जानी चाहिए, जो कि ऊपर अनुच्छेद 1 क्र सं. 8 में उल्लिखित बोली जमा करने की अंतिम तिथि के बाद नहीं होनी चाहिए।
- बोली प्रस्तुत करने की निर्दिष्ट तिथि रा.आ. बैंक के लिए अवकाश घोषित होने पर, बोलियां अगले कार्य-दिवस पर नियत समय तक प्राप्त की जाएंगी।
- रा.आ. बैंक अपने विवेकाधिकार पर, रा.आ. बैंक की वेबसाइट पर सूचना के साथ बोली दस्तावेजों में संशोधन करके बोली प्रस्तुत करने की समय-सीमा बढ़ा सकता है, इस मामले में, रा.आ. बैंक और बोलीदाताओं के सभी अधिकार और कर्तव्यों को पहले निर्धारित समय सीमा से बाद की समय सीमा के अधीन बढ़ाया जाएगा।

### **7.19 विलंबित बोलियां**

रा.आ. बैंक द्वारा निर्धारित बोली प्रस्तुत करने की समय-सीमा के बाद रा.आ. बैंक द्वारा प्राप्त किसी भी बोली को अस्वीकार कर दिया जाएगा और बिना खोले बोलीदाता को वापस कर दिया जाएगा।

### **7.20 रा.आ. बैंक द्वारा बोलियां खोलना**

- निर्धारित तिथि और समय पर, रा.आ. बैंक समिति द्वारा निर्दिष्ट तिथि और समय पर बैठक में भाग लेने वाले बोलीदाता प्रतिनिधियों की उपस्थिति में बोलियां खोली जाएंगी।

## प्रस्ताव हेतु अनुरोध: रा आ बैंक/आरएमडी/आरएफपी/01/2021-22: राष्ट्रीय आवास बैंक

- तकनीकी बोलियां खोलने का स्थान: राष्ट्रीय आवास बैंक, कोर 5-ए, चतुर्थ तल, भारत पर्यावास केंद्र, लोधी रोड नई दिल्ली –110003
- बोलीदाता का नाम और अपेक्षित ईएमडी/बोली प्रतिभूति घोषणा होना या नहीं होना, आरएफपी लागत एवं ऐसी अन्य जानकारी जो राष्ट्रीय आवास बैंक अपने विवेकाधिकार पर उपयुक्त समझे, तकनीकी बोली खोलते समय घोषित की जाएंगी।

### 7.21 बोलियों का स्पष्टीकरण

बोलियों के मूल्यांकन के दौरान, रा.आ. बैंक अपने विवेकाधिकार पर, बोलीदाता से उनकी बोली के स्पष्टीकरण के लिए पूछ सकता है। स्पष्टीकरण के लिए अनुरोध एवं उत्तर लिखित (फैक्स/ई-मेल) में होगा और बोली के सार में किसी परिवर्तन की मांग, प्रस्ताव या अनुमति नहीं दी जाएगी।

### 7.22 प्रारंभिक जांच

- रा.आ. बैंक बोलियों की जांच करेगा कि क्या वे पूर्ण हैं, दस्तावेजों को ठीक प्रकार से हस्ताक्षरित किया गया है; सहायक कागजात / दस्तावेज संलग्न हैं और बोली सामान्यतः क्रम में हैं।
- रा.आ. बैंक, अपने एकमात्र विवेकाधिकार से, बोली में किसी भी मामूली अस्थिरता, गैर अनुरूपता या अनियमितता में छूट कर सकता है, जो किसी सामग्री विचलन का गठन नहीं करता है, बशर्ते इस तरह की छूट किसी भी बोलीदाता के रिश्तेदार के पद को विघात या प्रभावित नहीं करती है।
- रा.आ. बैंक का निर्णय बोली दस्तावेजों के मूल्यांकन के लिए अंतिम है।

### 7.23 प्रस्ताव स्वामित्व

बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत सहायक प्रलेखन और प्रस्ताव रा.आ. बैंक की संपत्ति बन जाएगी जब तक कि रा.आ. बैंक लिखित में बोलीदाताओं के विशिष्ट आवेदन/आवेदनों से सहमत न हो कि प्रस्ताव और प्रलेखन वापस या नष्ट करें।

### 7.24 बोलीदाताओं को निर्देश

बोलीदाता तृतीय पक्ष को रा.आ. बैंक की दिशा पूर्व लिखित सहमति को छोड़कर और रा.आ. बैंक द्वारा पंजीकृत शिकायत में केवल अपनी ही सेवा / समर्थन इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से रा.आ. बैंक द्वारा सौंपे गए काम को आउटसोर्स नहीं करेगा।

### **7.25 लागत संरचना एवं परिवर्तन**

- बोलीदाता **अनुलग्नक IX** में दी गई संरचना के अनुसार, यदि कोई हो, स्पष्ट रूप से लागत मैट्रिक्स प्रस्तुत करेगा। कोई परिवर्तन होने पर बोली रद्द की जा सकती है। वाणिज्यिक बोली के अनुसार कोई अन्य विकल्प कोट नहीं किया जाना चाहिए। जहां विकल्प दिए गए, बोली रद्द की जा सकती है।
- वाणिज्यिक प्रस्ताव स्थिर मूल्य आधार पर होगा। संविदा की अवधि के दौरान समनुदेशित किसी भी कार्य के लिए करों को छोड़कर (वर्तमान एवं भावी) परामर्शदाता की लागत से संबंधित मूल्य परिवर्तन की अनुमति नहीं दी जाएगी।
- सांविधिक संशोधन के अनुसार वास्तविक रूप में केवल जीएसटी का भुगतान किया जाएगा।
- परियोजना की कार्यान्वयन तिथि कार्य सौंपने (आरंभिक तिथि) के पत्र की स्वीकृति तिथि या रा.आ.बैंक द्वारा निर्धारित ऐसी अन्य तिथि होगी। यदि प्रयोज्य हो तो सहायता सेवाओं आदि के नवीकरण हेतु उसी तिथि पर विचार किया जाएगा।

### **7.26 सहायक सेवाओं की यथासमय उपलब्धता**

परामर्शदामा के पास इस परियोजना के तहत अपेक्षित सभी सहायता प्रदान करने हेतु नई दिल्ली-एनसीआर में उपयुक्त एवं पर्याप्त सहायता तंत्र होना चाहिए।

### **7.27 दस्तावेजीकरण**

परामर्शदाता संविदा की अवधि के दौरान सप्लाई की गई सेवाओं के लिए पूर्ण तकनीकी एवं अन्य दस्तावेजीकरण प्रदान करेगा। सभी दस्तावेज अंग्रेजी में होंगे और उसमें सप्लाई की गई सेवाओं स्पष्ट रूप से इंगित की जानी चाहिए।

### **7.28 संशोधन एवं आहरण**

- प्रत्येक बोलीदाता केवल एक प्रस्ताव प्रस्तुत करेगा। यदि बोलीदाता एक से अधिक प्रस्ताव प्रस्तुत करता है तो, ऐसे सभी प्रस्तावों को अयोग्य माना जाएगा।
- बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे पूर्व-बोली बैठक के बाद ही बोलियां जमा करें क्योंकि एक बार जमा की गई बोली को अंतिम माना जाएगा और इस पर कोई और पत्राचार नहीं किया जाएगा। यदि बोलीदाता सफल बोलीदाता बन जाता है तो बोलीदाता को बोली वापस लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

## प्रस्ताव हेतु अनुरोध: रा आ बैंक/आरएमडी/आरएफपी/01/2021-22: राष्ट्रीय आवास बैंक

- बोली प्रस्तुतीकरण हेतु अंतिम समय सीमा और बोली प्रपत्र में बोलीदाता द्वारा निर्धारित बोली वैधता की समाप्ति के बीच इंटरवल में कोई बोली वापस नहीं ली जा सकती। इस इंटरवल के दौरान बोली वापस लेने पर बोलीदाता की ईएमडी जब्त की जा सकती है।
- रा.आ. बैंक बिना कोई कारण बताए किसी भी या प्राप्त सभी निविदाओं को रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। रा.आ. बैंक किसी भी कारण से बोली दस्तावेजों की गैर-रसीद/ कोई भी वितरण न होने के लिए जिम्मेदार नहीं होगा।

### 7.29 कीमतों का प्रकटीकरण

वाणिज्यिक बोली को छोड़कर तकनीकी या बोली के अन्य हिस्सों में किसी भी रूप में या किसी भी कारण से कीमतों का प्रकटीकरण नहीं किया जाना चाहिए। ऐसा करने में चूक होने पर बोली को अस्वीकृत किया जा सकता है।

### 7.30 बोली लगाने वाली कंपनियों की निबंधन व शर्तें

बोली लगाने वाली कंपनियों को बोली के लिए अपनी स्वयं के निबंधन व शर्तें लगाना आवश्यक नहीं है यदि ऐसी निबंधन व शर्तें प्रस्तुत की जाती हैं तो उसे उनकी बोलियों के हिस्से के तौर पर नहीं माना जाएगा। बोलीदाताओं को सूचित किया जाता है कि यदि इस आरएफपी हेतु प्रयोज्य संविदा के निबंधन व शर्तें बोलीदाताओं को स्वीकार्य न हो, तो अनुलग्नक IV के अनुसार उन परिवर्तनों को स्पष्ट रूप से विनिर्दिष्ट करें। बोलीदाता को स्पष्ट तौर पर यह भी वर्णित करना होगा किस संबंध में और सेवा एवं उपकरण किस हद तक विनिर्देश एवं जरूरतों में दिए गए विनिर्देशों से भिन्न/अलग हैं।

### 7.31 स्थानीय परिस्थितियां

बोलीदाता ऐसी स्थानीय परिस्थितियों एवं कारकों से भलीभांति परिचित हो जो संविदा के कार्य निष्पादन एवं/अथवा लागत पर कोई प्रभाव डालते हों।

### 7.32 रा.आ.बैंक से संपर्क करना या बाहरी प्रभाव डालना

बोलीदाताओं को वाणिज्यिक बोली प्रस्तुत करने के समय से संविदा प्रदान होने तक इस बोली से संबंधित किसी भी मामले पर रा.आ.बैंक या इसके सेवा प्रदाताओं के सार्थ संपर्क करना मना है। बोलीदाता की ओर से बोली मूल्यांकन प्रक्रिया को प्रभावित करने या संविदा प्रदान करने के निर्णय को प्रभावित करने का प्रयास करने पर बोली निरस्त किया जा सकता है।

**7.33 प्रस्ताव की सामग्री**

बोलीदाताओं के प्रस्ताव मूल्यांकन एवं चयन प्रक्रिया का मुख्य विषय है। इसीलिए यह आवश्यक है कि बोलीदाता ध्यानपूर्वक अपना प्रस्ताव तैयार करें। बोलीदाता के प्रस्ताव की गुणवत्ता सेवा उपलब्ध कराने में बोलीदाता की क्षमता का सूचक और उसी के लिए बोलीदाता के हित के रूप में देखी जाएगी।

**7.34 प्रतिबंधित या सूची से निकाले गए बोलीदाता**

बोलीदाता को एक घोषणा देनी पड़ती है कि उन्हें किसी भी सरकारी, अर्ध सरकारी एजेंसियों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम या सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक या उनके सहायकों द्वारा प्रतिबंधित या सूची से निकाला नहीं गया है। यदि बोलीदाता किसी सरकारी, अर्ध सरकारी एजेंसी, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम या सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक या उनके सहायकों द्वारा प्रतिबंधित किया जाता है तो इस तथ्य को स्पष्ट करना होगा। यदि यह घोषणा नहीं दी गई है, तो बोली को गैर-उत्तरदायी रूप में रद्द कर दिया जाएगा। यह घोषणा तकनीकी बोली के साथ प्रस्तुत की जाएगी।

**7.35 कानूनों का अनुपालन**

- क) परामर्शदाता/बोलीदाता को इस निविदा में उन्हें एवं सभी प्रयोजनों में उनको, उनके कारोबार, उनके कर्मचारियों अथवा उनके दायित्वों से संबंधित अथवा लागू प्रवृत्त सभी कानूनों अथवा जो भविष्य में लागू किये जाएं के बारे में पर्यवेक्षण करने, पालन करने, मानने एवं अनुपालन करने एवं राष्ट्रीय आवास बैंक को सूचित करने तथा अपनी ओर से असफल रहने अथवा चूक होने पर व इसके परिणामस्वरूप उत्पन्न होने वाले उपरोक्त एवं सभी अन्य सांविधिक दायित्वों की अनुरूपता अथवा अनुपालन पर अपनी ओर से घटित होने वाली अथवा उत्पन्न होने वाली किसी प्रकार की चूक पर अथवा असफल रहने पर देयता के दावों अथवा मांगों के लिए राष्ट्रीय आवास बैंक एवं इसके कर्मचारियों/अधिकारीगणों/कर्मचारी वर्ग/कार्मिकों/प्रतिनिधियों/एजेंटों की क्षतिपूर्ति, हानि रहित पकड़, बचाव एवं रक्षा करने का वचन देना होगा।
- ख) परामर्शदाता ऐसी सभी सहमतियां, अनुमतियां, अनुमोदन, लाइसेंस इत्यादि तुरंत एवं समय पर प्राप्त करेगा जो लागू कानून, सरकारी विनियमनों/दिशा निर्देशों के तहत इस परियोजना के किसी भी प्रयोजन एवं अपने स्वयं के कारोबार संचालित करने के लिए अनिवार्य अथवा आवश्यक हो एवं परियोजना की अवधि के दौरान उसे वैध अथवा प्रवृत्त रखेगा एवं इसमें किसी प्रकार से असफल रहने अथवा चूक होने की स्थिति में अपनी ओर से असफल रहने अथवा चूक होने पर व इसके परिणामस्वरूप उत्पन्न होने वाले उपरोक्त एवं सभी अन्य सांविधिक दायित्वों की अनुरूपता अथवा अनुपालन पर अपनी ओर से घटित होने वाली अथवा उत्पन्न होने वाली किसी प्रकार की चूक पर अथवा असफल रहने पर देयता के दावों अथवा मांगों के लिए राष्ट्रीय आवास बैंक एवं इसके

## प्रस्ताव हेतु अनुरोध: रा आ बैंक/आरएमडी/आरएफपी/01/2021-22: राष्ट्रीय आवास बैंक

कर्मचारियों/अधिकारीगणों/कर्मचारीवर्ग/कार्मिकों/प्रतिनिधियों/एजेंटों की क्षतिपूर्ति, हानि रहित पकड़, बचाव एवं रक्षा करने का वचन देना होगा।

- ग) यदि राष्ट्रीय आवास बैंक विलय, समामेलन, अधिग्रहण, समेकन, पुनर्निर्माण, स्वामित्व में परिवर्तन इत्यादि की प्रक्रिया से गुजरता है तो यह संविदा नई संस्था को सौंपे जाने वाला माना जाएगा एवं इस तरह के कार्य से इस संविदा के तहत ठेकेदार के अधिकारों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

### 7.36 बौद्धिक संपदा अधिकार

बोलीदाता वारंट देता है कि परामर्शदाता के रूप में इसके चयन की स्थिति निम्नलिखित हैं:

- (क) इसके द्वारा प्रदान किए जाने वाले इनपुट, किसी भी प्रकृति के कॉपीराइट, पेटेंट और अन्य बौद्धिक संपदा अधिकारों सहित किसी भी तृतीय पक्ष के बौद्धिक संपदा अधिकारों का उल्लंघन नहीं करेगा।
- (ख) यह आगे वारंट देता है कि प्रदेय किसी भी प्रकृति के कॉपीराइट, पेटेंट और अन्य बौद्धिक संपदा अधिकारों सहित किसी भी तृतीय पक्ष के बौद्धिक संपदा अधिकारों का उल्लंघन नहीं करेगा।
- (ग) ऐसी स्थिति में जब प्रदेय तृतीय पक्ष के बौद्धिक संपदा अधिकारों के उल्लंघन या उल्लंघन के दावे का विषय बनते हैं, बोलीदाता अपनी इच्छा और व्यय पर: (क) ऐसे प्रदेय का उपयोग जारी रखने हेतु रा.आ.बैंक के लिए खरीद का अधिकार; (ख) ऐसे प्रदेय को बदलने या संशोधित करने के लिए उन्हें गैर-उल्लंघनकारी बनाकर प्रदान किया जाता है, बशर्ते कि समान कार्य प्रतिस्थापन या संशोधित प्रदेय द्वारा उल्लंघनकारी प्रदेय के रूप में किया जाता है; अथवा (ग) यदि उपयोग करने का अधिकार खरीद नहीं हो सकता या प्रदेय को प्रतिस्थापित या संशोधित नहीं किया जा सकता तो प्रदेय की विवरणी को स्वीकार कर सकते हैं और ऐसे प्रदेय के लिए बोलीदाता को दी गई किसी भी राशि के लिए साथ ही रा.आ. बैंक द्वारा लगाए गए दंड के अतिरिक्त समान उपकरणों की खरीद के लिए रा.आ. बैंक द्वारा किए गए प्रतिस्थापन लागत रा.आ. बैंक को प्रतिपूर्ति कर सकते हैं। तथापि, इस संबंध में रा.आ. बैंक किसी भी तरह के व्यय, प्रभार, शुल्क या किसी प्रकार की लागतों को नहीं उठाएगा। मौजूदा उपायों के बावजूद, बोलीदाता प्रस्तावित समाधान का उपयोग करने के लिए रा.आ. बैंक की असमर्थता के कारण यदि सेवा स्तर की पूर्ति नहीं होती है तो दंड के भुगतान के लिए जिम्मेदार होगा।
- (घ) बोलीदाता स्वीकार करता है कि व्यापार तर्क, कार्य प्रवाह, प्रतिनिधिमंडल और रा.आ. बैंक के निर्णय लेने की प्रक्रिया और समर्पण संवेदनशील व्यापार प्रकृति के हैं और इसलिए इसे अन्य ग्राहकों, एजेंट या सॉफ्टवेयर के वितरकों को नहीं भेजा जाएगा। यदि परियोजना के क्षेत्र में वर्णित परियोजना के वांछित उद्देश्यों को पूरा नहीं किया जाता है और यदि आरएफपी में उल्लिखित की गई विभिन्न आवश्यकताओं के आधार पर प्रणाली प्रक्रियाओं को सुधारने में असमर्थ है, तो इस परियोजना को अपूर्ण माना जाएगा।

### 7.37 गलत/अधूरा कथन

यदि बोलीदाता द्वारा दिया गया कोई कथन/घोषणा, निविदा/ बोली प्रक्रिया के किसी भी चरण या संविदा के किसी भी चरण में बोली/ निविदा स्वीकार होने पर गलत या अधूरा या निविदा कार्य से संबंधित कोई जानकारी रोकना साबित होता है तो उनकी बोली/ निविदा/ संविदा को निम्नलिखित के अतिरिक्त में निरस्त कर दिया जाएगा:

- क) निविदा चरण में यदि ऐसा कथन पाया जाता है तो उनकी कुल बयाना राशि जब्त कर ली जाएगी एवं निविदा/बोली अस्वीकार कर दी जाएगी।
- ख) संविदा चरण में यदि ऐसे कथन पाए जाते हैं तो राष्ट्रीय आवास बैंक, आरएफपी में संविदा की समाप्ति हेतु दी गई उपयुक्त कार्रवाई कर सकता है।

### 7.38 भारत के साथ भूमि सीमा साझा करने वाले देश के बोलीदाता से खरीद पर प्रतिबंध:

- भारत के साथ भूमि सीमा साझा करने वाले देश से कोई भी बोलीदाता इस निविदा में बोली लगाने हेतु तभी पात्र होगा, जब बोलीदाता सक्षम प्राधिकारी यानी उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) द्वारा गठित पंजीकरण समिति के साथ पंजीकृत हो।

यद्यपि, यदि बोलीदाता उसी देश से हैं (यदि भारत के साथ भूमि सीमा साझा कर रहे हों) जिस देश में भारत सरकार ने ऋण व्यवस्था लागू की हैं या जिसमें भारत सरकार विदेश मंत्रालय की वेबसाइट पर दिए गए ऐसे देशों की अद्यतन सूची के अनुसार परियोजनाओं के विकास में कार्य कर रही है, तो इस प्रकार का पंजीकरण इस आरएफपी के अंतर्गत पात्र होने हेतु अपेक्षित नहीं है।

- बोलीदाता को **अनुलग्नक XIX** में संलग्न प्रारूप के अनुसार प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना होगा। यदि सफल बोलीदाता द्वारा प्रदान किया गया प्रमाण पत्र नकली पाया जाता है तो यह निविदा के निरस्तीकरण का आधार बनेगा तथा कानून के अनुसार आगे की कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

- इस खंड के प्रयोजन हेतु:

**क)** बोलीदाता" (कुछ संदर्भों में 'निविदा', 'एजेंसी' अथवा 'सेवा प्रदाता' शब्द सहित) से तात्पर्य है, कोई भी व्यक्ति या फर्म या कंपनी, जिसमें सहायता संघ या संयुक्त उद्यम (जो कई व्यक्तियों या फर्मों या कंपनियों का संघ है), प्रत्येक कृत्रिम न्यायिक व्यक्ति जो एतदपूर्व उल्लिखित बोलीदाताओं के किसी भी विवरण में नहीं आता, जिसमें किसी भी एजेंसी शाखा या कार्यालय को ऐसे व्यक्ति द्वारा नियंत्रित किया जाता है, जो खरीद प्रक्रिया में भाग लेता है, शामिल है।

**प्रस्ताव हेतु अनुरोध: रा आ बैंक/आरएमडी/आरएफपी/01/2021-22: राष्ट्रीय आवास बैंक**

**ख)** इस आदेश के उद्देश्य हेतु "भारत के साथ भूमि सीमा साझा करने वाले देश से बोलीदाता" का अर्थ: -

- (i) ऐसे देश में निगमित, स्थापित या पंजीकृत कोई इकाई; या
- (ii) ऐसे देश में निगमित, स्थापित या पंजीकृत कोई सहायक या संस्था; या
- (iii) ऐसे देश में निगमित, स्थापित या पंजीकृत संस्थाओं के माध्यम से पर्याप्त रूप से नियंत्रित एक इकाई; या
- (iv) एक इकाई जिसका लाभकारी स्वामी ऐसे देश में स्थित है; या
- (v) ऐसी इकाई का एक भारतीय (या अन्य) एजेंट; या
- (vi) एक सामान्य व्यक्ति जो ऐसे देश का नागरिक है; या
- (vii) एक संघ या संयुक्त उद्यम जहां संघ या संयुक्त उद्यम का कोई सदस्य उपरोक्त में से किसी के अंतर्गत आता है।

**ग)** उपर्युक्त (ख) के प्रयोजन हेतु लाभकारी मालिक निम्नानुसार होगा।

- i. कंपनी या सीमित देयता भागीदारी के मामले में, लाभकारी मालिक साधारण व्यक्ति है, जो अकेले या किसी के साथ या एक या एक से अधिक न्यायिक व्यक्ति के माध्यम से कार्य करता है, स्वामित्व हित को नियंत्रित रखता है या जो अन्य माध्यमों से नियंत्रण रखता है।

"स्वामित्व हित को नियंत्रित करना" का अर्थ है, कंपनी के शेयरों या पूंजी या लाभ के पच्चीस प्रतिशत से अधिक का स्वामित्व या हकदारी;

"नियंत्रण" में निदेशकों के बहुमत को नियुक्त करने या उनके शेयरहोल्डिंग या प्रबंधन अधिकारों या शेयरधारकों के करार या वोटिंग करार सहित के आधार पर प्रबंधन या नीतिगत निर्णय को नियंत्रित करने का अधिकार शामिल होगा;

- ii. साझेदारी फर्म के मामले में, लाभकारी मालिक साधारण व्यक्ति है, जो अकेले या किसी के साथ या एक या एक से अधिक न्यायिक व्यक्ति के माध्यम से कार्य करता है, उसके पास साझेदारी का पंद्रह प्रतिशत से अधिक पूंजी या लाभ की हकदारी का स्वामित्व है;

- iii. अनिगमित संघ या वैयक्तिकों के निकाय के मामले में, लाभकारी मालिक साधारण व्यक्ति है, जो अकेले या किसी के साथ या एक या एक से अधिक न्यायिक व्यक्ति के माध्यम से कार्य करता है, जिसके पास संघ या वैयक्तिकों के निकाय की संपत्ति या पूंजी का पंद्रह प्रतिशत से अधिक का स्वामित्व या हकदारी;

- iv. जहां किसी भी साधारण व्यक्ति की पहचान उपर्युक्त (i) या (ii) या (iii) में नहीं की गयी है, लाभकारी मालिक प्रासंगिक साधारण व्यक्ति है जो वरिष्ठ प्रबंध अधिकारी का पद ग्रहण करता है;

## प्रस्ताव हेतु अनुरोध: रा आ बैंक/आरएमडी/आरएफपी/01/2021-22: राष्ट्रीय आवास बैंक

v. न्यास के मामले में, लाभकारी मालिक की पहचान में न्यास के प्रणेता, न्यासी, न्यास में पंद्रह प्रतिशत या इससे अधिक ब्याज के साथ लाभार्थी और कोई भी अन्य साधारण व्यक्ति जो नियंत्रण स्वामित्व की श्रृंखला के माध्यम से न्यास पर अंतिम प्रभावी नियंत्रण का उपयोग करता है, शामिल होगी।

घ) एजेंट एक ऐसा व्यक्ति है जो किसी दूसरे के लिए कोई भी कार्य करने या तीसरे व्यक्ति के साथ डील करने में दूसरे व्यक्ति की जगह नियोजित होता है।

### 7.39. बैंक विवरण

आरएफपी लागत जमा करने के लिए बैंक खाते का विवरण इस प्रकार है: -

सं.	प्रकार	विवरण
1.	लाभार्थी का नाम	राष्ट्रीय आवास बैंक
2.	लाभार्थी पता	कोर 5ए, चौथी मंजिल, भारत पर्यावास केंद्र, लोधी रोड, नई दिल्ली 110 003
3.	लाभार्थी के बैंक का नाम	भारतीय स्टेट बैंक
4.	लाभार्थी बैंक शाखा का पता	प्रगति विहार दिल्ली शाखा, भूतल, कोर -6, स्कोप कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली - 110 003
5.	बैंक खाते का प्रकार	चालू खाता
6.	लाभार्थी बैंक खाता संख्या	52142903844
7.	बैंक शाखा का आईएफसीएस कोड	SBIN0020511

## 8. बोलियां (तकनीकी एवं वाणिज्यिक) एवं बोली के मूल्यांकन की पद्धति

### (क) बोलीदाताओं हेतु पात्रता मानदंड

- लिमिटेड कंपनी (सार्वजनिक या निजी), सीमित देयता साझेदारी कंपनी।
- भारतीय/अंतर्राष्ट्रीय ग्राहकों हेतु विदेशी विनिमय जोखिम सहित जोखिम प्रबंधन से संबंधित सेवाओं को देने में न्यूनतम 5 वर्षों का अनुभव हो। ग्राहकों में वित्तीय संस्थान एवं बैंक शामिल हो।
- विगत तीन वर्षों से (पिछले तीन लेखा परीक्षित परिणामों के अनुसार) लाभ अर्जित कर रही हो।
- पिछले 5 वर्ष में सरकारी/अर्द्ध सरकारी/सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई/सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक के न्यूनतम 3 ग्राहक होने चाहिए।
- दिल्ली/ एनसीआर में कार्यालय हो।

**प्रस्ताव हेतु अनुरोध: रा आ बैंक/आरएमडी/आरएफपी/01/2021-22: राष्ट्रीय आवास बैंक**

**(ख) बोली प्रक्रिया**

**गुणवत्ता सह लागत आधारित प्रणाली (क्यूसीबीएस)**

अपनाए जाने वाला प्रस्तावित मूल्यांकन मानदंड गुणवत्ता सह लागत आधारित प्रणाली होगा जहां तकनीकी बोली अंक 70 का भारांक और वाणिज्यिक बोली अंक 30 का भारांक प्राप्त करेगा।

**(ग) तकनीकी बोलियों का मूल्यांकन**

तकनीकी बोलियों के मूल्यांकन हेतु मानदंड एवं बिंदु प्रणाली इस प्रकार है:

तालिका अंग्रेजी अनुसार

*\* प्रस्तुत किए जाने वाले संबंधित दस्तावेज़।*

- प्रस्तुतीकरण के लिए 70 में से 50 या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले बोलीदाताओं को बुलाया जाएगा।
- वाणिज्यिक मूल्यांकन हेतु पात्र होने के लिए तकनीकी बोलियों के लिए न्यूनतम अर्हकारी अंक 60 अंक है।

**(घ) वित्तीय/ वाणिज्यिक बोली का मूल्यांकन**

1. तकनीकी बोली के अपेक्षित मानदंड की सफलतापूर्वक अर्हता रखने वाली कंपनियों पर ही वित्तीय बोली की पात्रता पर विचार किया जाएगा।

2. वित्तीय बोलियों का मूल्यांकन निम्नलिखित के अनुसार किया जाएगा:

- ◆ सबसे न्यूनतम बोली को 100 अंकों का अधिकतम वित्तीय अंक दिया जाएगा।
- ◆ अन्य वित्तीय बोलियों के वित्तीय अंक की गणना सबसे कम मूल्यांकित वित्तीय बोली के सापेक्ष में की जाएगी।
- ◆ वित्तीय अंक गणना करने की पद्धति निम्नलिखित है:

$$\text{वित्तीय अंक (विचाराधीन बोली)} = \frac{100X \text{ कीमत (सबसे कम बोली)}}{\text{कीमत (विचाराधीन बोली)}}$$

## प्रस्ताव हेतु अनुरोध: रा आ बैंक/आरएमडी/आरएफपी/01/2021-22: राष्ट्रीय आवास बैंक

◆ मूल्य/बोली राशि को अनुलग्नक IX - वाणिज्यिक बोली प्रारूप के अनुसार प्राप्त किया जाएगा।

(ड) बोली का अंतिम/कुल मूल्यांकन

◆ प्रस्तावों को निम्नलिखित विवरणानुसार तकनीकी एवं वित्तीय अंकों को मिलाकर प्राप्त उनके अंतिम अंक के अनुसार अंक दिया जाएगा:

अंतिम अंक (एफएस) = तकनीकी अंक X टी + वित्तीय अंक X एफ

जहाँ

टी- तकनीकी बोली को दिया गया भारांक

एफ- वित्तीय बोली को दिया गया भारांक

टी + एफ = 1

◆ बोलियों के भारांक निम्नलिखित तालिका के अनुसार है:

I. तकनीकी बोली टी	70%
II. वित्तीय बोली एफ	30%
कुल भारांक	100%

(च) अधिकतम अंतिम अंक (एफएस) प्राप्त करने करने वाली बोली का चयन किया जाएगा।

(छ) बैंक के पास संविदा सौंपने से पहले अंतिम रूप से सूचीबद्ध बोलीदाता के साथ मूल्य पर मोल-भाव करने का अधिकार है।

### 9. वाणिज्यिक निबंधन व शर्तें

बोलीदाताओं से अनुरोध है कि वे इस परियोजना की निम्नलिखित वाणिज्यिक निबंधन व शर्तों को ध्यान में रखें।

#### 9.1 कीमत

- बोलीदाता द्वारा उद्धृत कीमतों में सभी प्रकार की लागत शामिल हो।
- कीमत एक वर्ष या संविदा बढ़ाने पर अधिक की पूरी संविदा अवधि के लिए वैध हो।
- कीमत सभी करों (जीएसटी को छोड़कर), शुल्क, परिवहन, बीमा, वाणिज्यिक बोली के अनुसार शामिल होना चाहिए।

## प्रस्ताव हेतु अनुरोध: रा आ बैंक/आरएमडी/आरएफपी/01/2021-22: राष्ट्रीय आवास बैंक

- घ) बोलीदाता द्वारा उद्धृत कीमत संविदा के बोलीदाता की निष्पादकता के दौरान स्थिर रहेगी यानी, एक वर्ष की अवधि के लिए जिसे आवश्यक हो तो रा.आ.बैंक द्वारा संतोषजनक वार्षिक समीक्षा के बाद 3 वर्षों की अवधि तक के लिए बढ़ाया जा सकता है।
- ङ) समायोज्य कीमत युक्त कोटेशन के साथ प्रस्तुत बोली को अनुत्तरदायी समझा जाएगा एवं उसे अस्वीकार कर दिया जाएगा।
- च) अनुबंधित दरों के अनुसार, रा.आ.बैंक पिछले वर्ष की संतोषजनक वार्षिक समीक्षा के बाद वार्षिक आधार पर 3 वर्षों की अवधि तक के लिए संविदा नवीकृत कर सकता है।
- छ) भविष्य की किसी भी आवश्यकता के लिए, वाणिज्यिक प्रस्ताव में उल्लिखित और इस आरएफपी की लागू शर्तों के अनुसार अनुबंधित मानव-दिवस दर पर आदेश दिया जाएगा। आदेश को स्वीकार करने में विफलता के लिए रा.आ.बैंक के विवेक पर इस आरएफपी के अनुसार दंड और समाप्ति की शर्तें लागू होंगी।

### 9.2 भुगतान नियम

निम्नलिखित भुगतान शर्तों के अनुसार पीबीजी जमा करने और एसएलए पर हस्ताक्षर करने के बाद ही कोई भुगतान जारी किया जाएगा:

भुगतान नियम निम्नानुसार हैं:

- क) परामर्शदाता शुरू में एक वर्ष की अवधि हेतु नियुक्त किया जाएगा। बैंक परामर्श एजेंसी को सहमत व्यावसायिक शुल्क का भुगतान जारी करेगा, जिसके लिए संविदा चार त्रैमासिक किश्तों में निष्पादित की जाएगी।
- ख) त्रैमासिक इनवॉइस प्राप्त होने के बाद भुगतान किया जाएगा और कार्यक्षेत्र (अनुच्छेद 4) और प्रदेय (अनुच्छेद 5) के तहत सूचीबद्ध रिपोर्ट / विश्लेषण / सूचना बैंक की संतुष्टि हेतु प्रस्तुत कर दी गई है।
- ग) बैंक द्वारा किसी भी प्रदेय की अस्वीकृति के मामले में, परामर्श एजेंसी के पास सुधार हेतु अधिकतम 15 दिनों का समय होगा। ऐसे मामलों में भुगतान केवल संशोधित प्रदेय के संतोषजनक प्राप्ति के बाद जारी किया जाएगा।
- घ) बोलीदाता की तरफ से देरी या चूक के मामले में, रा.आ.बैंक को बोलीदाता को देय किसी भी भुगतान को रोकने का अधिकार होगा। भुगतान को ऐसे रोकना रा.आ.बैंक की ओर से चूक नहीं होगी। एक बार संविदा मूल्य प्राप्त होने के बाद, संविदा के निष्पादन के दौरान यह वृद्धि के अधीन नहीं होना चाहिए।

### 9.3 संविदा की समाप्ति की स्थिति में भुगतान

आरएफपी की शर्तों के अधीन, यदि संविदा समप्त हो जाती है तो सेवाओं के प्रति भुगतान को लागू दंड और टीडीएस /अन्य

**प्रस्ताव हेतु अनुरोध: रा आ बैंक/आरएमडी/आरएफपी/01/2021-22: राष्ट्रीय आवास बैंक**

लागू करों को काटने के पश्चात उस अवधि जिसके लिए वे सेवाएं दी गई हों, के लिए यथानुपात आधार पर किया जाएगा।

अन्य निबंधन व शर्तों तथा प्रारूपों के लिए निम्नलिखित वेबसाइट पर जाएं:

[www.nhb.org.in](http://www.nhb.org.in) – What's New

*\*किसी भी विवाद की स्थिति में दस्तावेज का अंग्रेजी संस्करण मान्य होगा।*

**XXXXXXXXXXXX**